13 दुर्घटना बीमा – अपोलो म्युनिख का व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी

Accidental Insurance : Personal Accident Policy Apollo munich

दुर्घटना जीवन की सबसे अप्रत्याशित एवं दुखद घटना है अतः प्रत्येक व्यक्ति को दुर्घटना बीमा अवश्य करवाना चाहिए। सौभाग्य से हमारे देश में दुर्घटना बीमा की किस्तें (प्रीमियम) बहुत कम है। अर्थात् 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मात्र 500 रु. प्रतिमाह की प्रीमियम पर करवाया जा सकता है। दुर्घटना बीमा एक वर्ष के लिए होता है। वर्ष के दौरान दुर्घटना नहीं होने पर कोई राशि नहीं मिलती है। अगले वर्ष पॉलिसी को नवीनीकरण करना आवश्यक है। दुर्घटना बीमा को किसी अन्य बीमा पॉलिसी के साथ नहीं जोड़कर लेना चाहिए। अलग से ली गई दुर्घटना पॉलिसी स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णतः या आंशिक विकलांगता होने की स्थिति में या मृत्यु होने की स्थिति में बीमा धन प्राप्त होता है। और प्रायः दुर्घटना से विकलांग या हड्डी टूटने पर आंशिक विकलांग होने की सम्भावना ज्यादा होती है। अतः अलग से दुर्घटना बीमा कराना चाहिए। दुर्घटना बीमा हेतु बीमा धन आपकी वार्षिक आय के अधिकतम 10 गुणा तक हो सकता है। अपोलो म्युनिख एक करोड़ से अधिक राशि के बीमा धन हेतु पॉलिसी जारी करने वाली कुछ बीमा कम्पनियों में से एक हैं। इस पॉलिसी में आपको भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी दुर्घटना होने पर बीमा कव्हर उपलब्ध है।

मुख्य फायदे (Key Benefits)

- ☞ दुर्घटना से मृत्यु होने पर – यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी और अवधि के दौरान दुर्घटना से ग्रस्त होता है और दुर्घटना की तारीख से 365 दिनों के अंदर दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बीमा धन का भुगतान किया जाता है।
- ☞ स्थायी पूर्ण /आंशिक विकलांगता (PTD/PPD) – यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी और अवधि के दौरान दुर्घटना से ग्रस्त होता है और दुर्घटना की तारीख से 365 दिनों के अंदर दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से पूर्ण/आंशिक विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता की तीव्रता के अनुरूप उसे बीमा धन का भुगतान किया जाता है। जैसे दोनो हांथ या पैर के हानि होने पर बीमा धन का 100 प्रतिशत तथा एक हाथ या एक पैर या एक आंख की हानि होने पर बीमा धन का 60 प्रतिशत आदि।
- ☞ अस्थायी पूर्ण /आंशिक विकलांगता (PTD/PPD) – यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी और अवधि के दौरान दुर्घटना से ग्रस्त होता है और दुर्घटना की तारीख से 365 दिनों के अंदर दुर्घटना के कारण वह अस्थायी रूप से पूर्ण/आंशिक विकलांग हो जाता है और वह अपने कार्य अथवा व्यवसाय से पूर्णतः वंचित हो जाता है तो उसे बीमा धन के एक प्रतिशत या सप्ताहिक आय , जो कम हो, का भुगतान अधिकतम 100 सप्ताह तक साप्ताहिक रूप से किया जाता है।
- ☞ हड्डी टूटना – यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी और अवधि के दौरान दुर्घटना से ग्रस्त होता है और दुर्घटना के कारण उसका हड्डी टूट जाती है या फेक्चर हो जाती है तो बीमारी के अनुरूप बीमा धन के कुछ हिस्से का भुगतान किया जाता है।
- ☞ अस्पताल के खर्च – यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी और अवधि के दौरान दुर्घटना से ग्रस्त होता है और दुर्घटना के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है तो 50 हजार रु. तक खर्च की भरपाई की जाती है।
- ☞ अन्य लाभ – अपातकालीन एम्बूलेंस के लिए 2000 रु., परिवार के सदस्यों को लाने ले जाने के लिए बीमा धन का एक प्रतिशत, बच्चों की पढ़ाई के लिए बीमा धन का 10 प्रतिशत अधिकतम 20 हजार तथा खून खरीदने के लिए खर्च की गई राशि आदि।

उपयुक्तता (Eligibility)

यह योजना 91 दिन से 69 साल के उम्र तक के लोगों के लिए है 70 साल से अधिक उम्र होने पर केवल 5 लाख का बीमा धन लिया जा सकता है।

अपवाद–इस पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा यदि मामलाः

- ☞ खुद को जख्मी करने, आत्महत्या या आत्महत्या करने के प्रयास का हो या ड्रग और शराब समेत नशीले पदार्थ का मादक पदार्थ के सेवन का हो।
- ☞ किसी नौसेना, शैन्य या वायुसेना अभ्यास, रेस, गोताखोती, उड्डयन, रॉक या पर्वतारोहण का हो अपराध की मंशा से कानून तोड़ने का हो।
- ☞ युद्ध या युद्ध की गतिविधि, विदेशी दुश्मन की गतिविधि, सार्वजनिक सुरक्षा, विद्रोह, क्रांति, बलवा, सैन्य या कब्जा करने की गतिविधि, रासायनिक, रेडियोएक्टिव या नाभिकीय प्रदूशण का हो।
- ☞ गर्भवती होने या संतानोत्पत्ति या संबंधित समस्याओं का हो, अंदर और बाहर की जन्मजात बीमारियों का हो।
- ☞ एचआईवी, एड्स, यौन संक्रमण की बीमारियों का हो।

नोट– बीमा योजना का चयन करने से पूर्व कृपया बीमा योजना डाकुमेंट का अध्ययन अवश्य कर लेवें। या वित्तीय सलाहकार अनुप माहेश्वरी से 9165528922 पर सम्पर्क करें।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:39 PM